



कानपुर नगर नियोजक (भवन)

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

पत्रांक सं०-डी/२७ /न०नि०(भवन)/का०वि०प्रा०/2018-19

दिनांक :- 01-10-18

**:- कानपुर विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र :-**

मेसर्स महावीर सहकारी आवास समिति लि० के सचिव श्री आत्माराम खत्री व अन्य द्वारा वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित आराजी सं०-576, 577, 585, 1082 से 1094, 1113 ग्राम बैरी अकबरपुर कछार तथा आराजी सं०-1283 (एम), 1284(एम) व 1285 (एम) ग्राम बैरी अकबरपुर बोंगर कानपुर पर निर्मित समूह आवास के सम्बंध में दिये गये, मानचित्र के पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र परिशिष्ट सं०-6 प्रपत्र 'ब' भाग 'अ' पर भवन स्वामी द्वारा एवं परिशिष्ट-6 प्रपत्र 'ब' भाग 'ब' पर स्ट्रक्चर इंजी० फैजल-उर-रहमान रजि०-एम.135439 डी० चार्टेड इंजी० (इंडिया) तथा परिशिष्ट-11 पर पंजीकृत वास्तुविद श्री रितेश आर कक्कड़ रजिस्टर्ड नं०-सी०ए०/2002/30430 का प्रमाण पत्र व रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सम्बंध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण पत्र (भाग-स) का परीक्षण श्री एस०पी० श्रीवास्तव अवर अभियन्ता, कानपुर विकास प्राधिकरण व मेरे द्वारा कर लिया गया है, एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति ग्रुप-हाउसिंग मानचित्र परमिट सं०-91/भव/14-15 दिनांक 07.07.2018 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 क (2) के अनुसार उपाध्यक्ष महोदया की स्वीकृति दिनांक 10.09.2018 के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

**प्रतिबन्ध :-**

1. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति में उल्लिखित प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।
2. एपार्टमेंट सोसाइटी को हस्तान्तरण किये जाने तक उक्त कालोनी का रख रखाव विकासकर्ता द्वारा करना होगा।
3. रेरा के प्राविधानों का पालन एवं भवन के स्थायित्व का दायित्व विकास कर्ता का होगा।

हस्ताक्षर .....  
पदनाम .....  
कार्यालय .....  
दिनांक .....

29/9/18  
ज्योति प्रसाद  
नगर नियोजक  
कानपुर विकास प्राधिकरण  
कानपुर